N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फॉर्म

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0323 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/12/2025 15:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 04/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:20 बजे **Time To (समय तक):** 15:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/12/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/12/2025 15:26:[illegible] बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL[illegible]

(b) **Address(पता):** SURENDRA TEA STALL, KARALYA JILA SHIKSHA ADHIKARI/MADHYAMIK, JALOR K[illegible]
PASS AAHOR ROAD, JILA JALOR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VIKARAM SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): LET. JAWAHAR SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1986 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOTHRA BHOOKRAN, DADIYA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOTHRA BHOOKRAN, DADIYA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHENDRA KUMAR MEENA		पिता:CHIMANARAM	1. VALDARA,BHADRAJUN,JALOR

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ सत्थी करे)):

सेवामे,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोरजिला जालोर ।विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाने के संबंध में ।महोदयउपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि मैं विक्रमसिंह पुत्र स्व. श्री जवाहरसिंह जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गोठडा भूकरान, पुलिस थाना दादिया जिला सीकर (राज.) का रहने वाला हूँ। मेरे कस्बा भीनमाल जिला जालोर में परफेक्ट कैरियर एकेडमी के नाम से आठवीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल है जिसका मैं निदेशक हूँ। मेरी स्कूल के मान्यता कोड RJJLR36512 है तथा PSP Code P73694 है। मेरी स्कूल की मान्यता जारी हुई उस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) के कार्यालय में कार्यरत बाबू श्री महेन्द्र कुमार मीणा ने मेरे से 5,000/- रुपये स्कूल की मान्यता जारी करवाने की एवज में मांगे थे जो मैने नहीं दिए थे। भारत सरकार द्वारा स्कूल में अध्ययनरत विधार्थीयों के डाटा ऑनलाईन रखने के लिए UDISE पोर्टल संचालित किया जा रहा है जिसमे मैने मेरी स्कूल के UDISE नंबर व पासवर्ड जारी करवाने हेतु आवेदन मय दस्तावेज तैयार कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर में करीबन बीस दिन पहले प्रस्तुत किये थे, मगर मेरे स्कूल के UDISE नंबर व पासवर्ड जारी नहीं हुए तो मैं दिनांक 15.11.2025 को जालोर आकर श्री महेन्द्र कुमार मीणा बाबूजी से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि आपने आपकी स्कूल की मान्यता जारी करवाई उसके भी मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए इसलिए अब आपको स्कूल मान्यता जारी करवाने के तथा UDISE नंबर व पासवर्ड जारी करवाने के 10,000 रुपये मुझे देने पडेगे तभी मैं आपकी स्कूल के UDISE नंबर व पासवर्ड जारी करवाऊंगा। मैं मेरे उपरोक्त वैध कार्य की एवज में श्री महेन्द्र कुमार मीणा बाबूजी को 10,000 रुपये रिश्वत के रुप में नहीं देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुए रंगेहाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे तथा श्री महेन्द्र कुमार मीणा बाबूजी के मध्य किसी भी प्रकार का लेन-देन बकाया नहीं है तथा ना ही हमारे आपसी कोई रंजीश वगैरा है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी एसडी विक्रमसिंह पुत्र स्व. श्री जवाहरसिंह जाट निवासी गोठडा भूकरान पुलिस थाना दादिया जिला सीकर मो.नं. ---------- कार्यावाही पुलिस दिनांक 01.12.2025 को समय 01.20 पी.एम. पर परिवादी श्री विक्रमसिंह पुत्र स्वः जवाहरसिंह जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गोठडा भूकरान पुलिस थाना दादिया जिला सीकर, हाल निवास निदेशक परफेक्ट कैरियर एकेडमी स्कूल भीनमाल जिला जालोर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर में उपस्थित होकर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की जिसका अवलोकन किया जाकर परिवादी से विस्तृत पुछताछ की गई। दरियाफ्त पर परिवादी श्री विक्रमसिंह ने उपरोक्त रिपोर्ट स्वयं के हस्तलिखित होना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया व रिपोर्ट के साथ स्वयं के आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा स्कूल मान्यता से संबंधित स्वःप्रमाणित प्रतियां पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व दरियाफ्त से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिधि में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने बताया कि मैने दिनांक 15.11.2025 को एसीबी हेल्प लाईन नंबर 1064 पर उपरोक्त शिकायत के संदर्भ में वार्ता की थी जिस पर उसी दिन आपने भी मुझे कॉल कर कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित आने हेतु कहा था मगर मेरे विद्यालय में अद्धवार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने तथा मेरे घर पर अति-आवश्यक कार्य व रिश्तेदारी में शादी ब्याव में व्यस्त होने से उक्त कार्यवाही हेतु मैने आईन्दा आपके कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निवेदन किया था, आज मैं मेरे कार्य से निवृत होकर उपस्थित आया हूँ। तत्पश्चात समय 01.45 पी.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को कार्यालय हाजा के मालखाना में से डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर तलब करने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उपस्थित परिवादी श्री विक्रमसिंह से आपस में परस्पर परिचय करवाया गया तथा दोनो के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन किया जाकर मय मैमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री विक्रमसिंह एवं श्री रविन्द्र कुमार एएसआई को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चलाने की प्रक्रिया के बारे में भलीभाँति समझाया जाकर समय 02.15 पी.एम. पर श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक पुलिस को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्सट्राल सुदा खाली नये मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री विक्रमसिंह के साथ रिश्वति राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर जरिए निजी मोटरसाईकिल के

संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार बाबू, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 04.00 पी.एम. पर श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विक्रमसिंह के रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गये हुए कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री रविन्द्र कुमार एएसआई ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच-ऑफ हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया की निर्देशानुसार कार्यालय हाजा से रवाना होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.) जालोर के नजदीक पहूंचे तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर वक्त 02.32 पी.एम. पर संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार बाबूजी से संपर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर के लिए रवाना किया व मन् एएसआई उक्त कार्यालय के बाहर अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी के वापस आने के इन्तजार में व्यस्त हुआ, कुछ समय पश्चात परिवादी उक्त कार्यालय से रवाना होकर मन् एएसआई के पास उपस्थित आया जिस पर मन् एएसआई ने पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया। परिवादी ने बताया कि मैं रवाना होकर श्री महेन्द्र कुमार बाबूजी के कार्यालय में पहूंचा तो वो कार्यालय में मौजूद नहीं मिले जिस पर मैने उनको मेरे मोबाईल फोन से कॉल कर वार्तालाप की तो श्री महेन्द्रजी बाबजी ने मुझे बताया की आप कार्यालय के बाहर चाय की दूकान पर बैठो मैं दस मिनट में आ रहा हूँ जिस पर मन् एएसआई ने वक्त करीबन 02.45 पी.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर पुनः चालू कर परिवादी श्री विक्रमसिंह को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी द्वारा बताये स्थान की तरफ रवाना किया व मन् एएसआई वहीं चाय की दूकान के ईर्द-गिर्द परिवादी के इन्तजार में व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति अपनी सफेद रंग की कार से उक्त चाय की दूकान पर आया व परिवादी श्री विक्रमसिंह को कार में साथ बिठाकर धिरे-धिरे कॉलेज तिराहे होते हुए भीनमाल बाईपास की तरफ रवाना हुए जिस पर मन् एएसआई भी अपनी पहचान छुपाते हुए मोटरसाईकिल से पिछे पिछे रवाना हुआ, संदिग्ध अधिकारी ने अपनी कार को रोका जहां कार से परिवादी निचे उतरकर एक एटीएम पर गया जो थोड़ी ही देर में पुनः संदिग्ध अधिकारी की कार में बैठ गया व पुनः भीनमाल बाईपास की तरफ रवाना हुए जिस पर मन् एएसआई उनसे दूरी बनाए हुए पिछा किया गया तो भीनमाल बाईपास से थोड़ा पहले एक दूकान के आगे कार को रोकी जहां परिवादी उतरकर एक दूकान में प्रवेश हुआ व संदिग्ध अधिकारी अपनी कार में बैठा रहा जिस पर मन् एएसआई रवाना होकर उक्त दूकान में प्रवेश हुआ जहां परिवादी विक्रमसिंह से पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया। थोड़ी देर बाद संदिग्ध अधिकारी अपनी कार से रवाना हो गया। जिस पर मन् एएसआई मय परिवादी श्री विक्रमसिंह के जरिए मोटरसाईकिल रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आये। उपस्थित परिवादी श्री विक्रमसिंह ने भी श्री रविन्द्र कुमार एएसआई के कथनों की ताईद करते हुए बताया की मेरी वार्ता श्री महेन्द्र कुमार बाबूजी से हुई जिसमे उन्होने मेरे स्कूल के UDISE नंबर व पासवर्ड जारी करने की एवज में दस हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग, जिस पर मैने उनको आठ हजार रुपये के लिए कहा तो उन्होने कहा कि दस हजार रुपये ही लगेगें आदि कथन किये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो उपरोक्त वार्ताएं रिकार्ड होकर परिवादी व श्री रविन्द्र कुमार एएसआई द्वारा बताये कथनों की ताईद हुई तथा उक्त रिकार्ड वार्ताओं की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट कता करने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने बताया की मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री महेन्द्र कुमार बाबूजी ने आज ही रुपये लेकर आने के लिए कहा है मगर मेरे घर पर जरुरी कार्य होने से मुझे भीनमाल जाना है इसलिए मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि दस हजार रुपये की व्यवस्था कर दिनांक 04.12.2025 को आपसे संपर्क कर उपस्थित आऊंगा। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्वीच-ऑफ कर मन् एएसपी ने स्वयं की अभिरक्षा सुरक्षित रखा। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी, परिवादी को आईन्दा अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित आने हेतु पाबंद कर गोपनीयता की हिदायत कर रूकसत किया गया। जिस पर आज दिनांक 04.12.2025 को समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री विक्रमसिंह कार्यालय हाजा में मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया व बताया की रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रुपये साथ लेकर आया हूँ। जिस पर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए समय 11.25 ए.एम. पर श्री भरतसिंह कानि.चालक नं. 501 को कार्यालय के पत्रांक 2269 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा तहसीलदार सायला जिला जालोर के नाम तहरीर जारी कर सुपुर्द कर दो स्वतंत्र गवाह प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु लाने बाबत् निजी मोटरसाईकिल से आवश्यक हिदायत कर तहसील कार्यालय सायला की तरफ रवाना किया गया जो समय 01.50 पी.एम. पर मय दो स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आया तथा कार्यालय तहसीलदार सायला जिला जालोर का आदेश क्रमांक 1166 दिनांक 04.12.2025 की तहरीर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जिस पर उपस्थित दोनो गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए पृथक-पृथक परिचय पुछा तो उन्होने क्रमशः श्री नरेश कुमार पुत्र श्री नगराज उम्र 31 साल जाति देवासी, निवासी नयाखेड़ा बागोड़ा पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सायला, जिला जालोर, मोबाईल नंबर एवं श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सेमीलाल उम्र 36 साल जाति राव निवासी तिखी पुलिस थाना बिशनगढ जिला जालोर, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सायला, जिला जालोर, मोबाईल नंबर होना बताया। जिस पर

उपस्थित परिवादी श्री विक्रमसिंह से उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 01.12.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा पढाया गया एवं दिनांक 01.12.2025 को परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार के मध्य हुई वार्तालाप जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड सुदा के मुख्यांश डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर रिवर्स कर सुनाए गए एवं दोनो गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति देते हुए दोनो गवाहान ने परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किए। समय अभाव के कारण रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 01.12.2025 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा मूर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगा मैमोरी कार्ड सुरक्षित हालात में डिजीटल वॉयस रिकार्डर से निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के कार्यालय कक्ष के टेबल की दराज में सुरक्षित रखकर तालाबंद कर चाबी स्वंय के पास रखी।तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री विक्रमसिंह द्वारा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार बाबू कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर, जिला जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 20 नोट कुल राशि 10,000/- रुपये अपनी जेब से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात कार्यालय हाजा के श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को सुपुर्द करवाई गई। तत्पश्चात उपरोक्त पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के सभी नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री विक्रमसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से लिरवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु/ दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए गए तथा परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10,000/- रूपये परिवादी श्री विक्रमसिंह के शर्ट के उपर पहने हुए ब्लेजर के दाहिने साईड में निचे की जेब में रखवाए जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी को रास्ते में हाथ नहीं लगाए एवं छुए नहीं तथा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा मांगने पर ही उसे अपने ब्लेजर की जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलाएं। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी श्री विक्रमसिंह को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उक्त राशि आरोपी श्री महेन्द्र कुमार के प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल या मिस कॉल कर या ट्रेप दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात् कार्यालय हाजा से एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाया गया, जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः मालखाना में रखवाई जाकर मालखान को बंद कर ताला लगवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के दोनों हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेज एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। उपरोक्त कार्यवाही की कार्यालय हाजा के सरकारी विडियो कैमरे में एक नया मैमोरी कार्ड डलवाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 से विडियोग्राफी करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोट तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। दिनांक 04.12.2025 को समय 03.15 पी.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री कालूराम कानि. 477, स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री गुलाबसिंह कानि. 140, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड,

लेपटॉप प्रिन्टर मय पेपर रीम के जरिये निजी वाहन तथा श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93, स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार कनिष्ट सहायक मय आदूराम कानि. 142, श्री करणीदान कानि. 236 मय सरकारी विडियो कैमरा मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के निजी वाहन से तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. 232 मय परिवादी श्री विक्रमसिंह जरिए मोटरसाईकिल, ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि.ब्यूरो जालोर से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर जिला जालोर की तरफ रवाना हुए तथा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु छोड़ा गया। तत्पश्चात समय 03.30 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान व आवश्यक सामग्री के जरिये निजी वाहनों से रवाना सुदा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर से पहले शंकर वाटिका के नजदीक पहूंचे व समस्त ट्रेप पार्टी को रुकवाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार बाबू की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री विक्रमसिंह के मोबाईल नंबर   से श्री महेन्द्र कुमार बाबू के मोबाईल नंबर   पर वक्त 03.36 पी.एम. पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई, उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232 के माध्यम से रिकॉर्ड करवाई गई तथा वार्ता के दौरान श्री करणीदान कानि. 236 से सरकारी विडियो कैमरे से विडियोग्राफी करवाई गई। वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार बाबू परिवादी श्री विक्रमसिंह को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) जालोर के बाहर स्थित चाय की दुकान पर उपस्थित आने हेतु कहा है। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को सुरक्षित निकालकर मन् एएसपी ने अपने पास सुरक्षित रखा जाकर उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड लगाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप दल के रवाना होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) जालोर के पास स्थित चाय की दूकान से कुछ दूरी पर पहूंच वाहनों को रुकवाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई की मय परिवादी के रवाना होकर चाय की दूकान के नजदीक पहूंच डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु रवाना करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं शेष ट्रेप दल के रवाना होकर चाय की दूकान के नजदीक पहूंच अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे में व्यस्त रहे। परिवादी पुलिस थाना कोतवाली जालोर के सामने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर के पास स्थित चाय की थडी पर पहूंचा जहां परिवादी अपने मोबाईल से किसी से वार्ता करने लगा, कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आकर उक्त चाय की थडी के पास रुका व परिवादी से वार्ता करने लगा एवं परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर पास ही स्थित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) जालोर के सामने स्थित सुरेन्द्र टी स्टॉल के पास जाकर रुके व मोटरसाईकिल से निचे उतरकर दोनो उक्त सुरेन्द्र टी स्टॉल पर स्थित बैंच पर जाकर बैठे जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान तथा समस्त ट्रेप दल सदस्य जो वहीं उस चाय की दूकान के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडे-खडे परिवादी व संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों को देख रहे थे। तत्पश्चात दिनांक 04.12.2025 को समय 03.55 पी.एम. पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री विक्रमसिंह ने रिश्वती राशि लेन-देन के पश्चात कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालोर के बाहर स्थित सुरेन्द्र टी-स्टॉल आहोर रोड जालोर पर एक बैंच पर अन्य व्यक्ति के साथ बैठे हुए ट्रेप पार्टी को देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप दल के सदस्यगण तुरंत हरकत मे आकर रवाना होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालोर के बाहर स्थित सुरेन्द्र टी-स्टॉल आहोर रोड जालोर पर परिवादी के पास पहूंच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी श्री विक्रमसिंह से प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के पास रखा। तत्पश्चात हमरा श्री करणीदान कानि. 236 जिसे पूर्व मे सुपुर्द सुदा सरकारी विडियो कैमरा मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के उक्त विडियो कैमरे को ऑन करवाकर विडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित कर विडियोग्राफी चालू करवाई गई। तत्पश्चात पुछने पर उपस्थित परिवादी श्री विक्रमसिंह ने स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप दल के सदस्यगण के रुबरु उक्त टी-स्टॉल पर स्थित बैंच पर अपने पास बैठ अन्य व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री महेन्द्र कुमार मीणा बाबूजी है जो मेरे द्वारा कुछ समय पहले मैने पूर्व मे इनके बताए अनुसार उक्त स्थान पर पहूंचकर मैने मेरे मोबाईल नंबर   से श्री महेन्द्र कुमार मीणा बाबूजी के मोबाईल नंबर   पर कॉल किया तो उन्होने इस चाय की दूकान पर आने का कहा था जिन्होने अभी-अभी कुछ देर पहले मेरी परफेक्ट कैरियर एकेडमी स्कूल भीनमाल के UDISE नंबर तथा पासवर्ड जारी करवाने की एवज मे पूर्व मे तय सुदा 10,000/- रुपये मेरे से मांगकर प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ से स्वयं के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है जो अभी भी इनके जीन्स पेन्ट की जेब मे है। जिस पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेपदल के सदस्यगण तथा परिवादी का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का परिचय पुछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री चिमनाराम जाति मीणा उम्र 34 साल पैशा नौकरी निवासी ग्राम वलदरा पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर हाल निवास गौतम ऋषि मंदिर के पास रामदेव कॉलोनी जालोर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जालोर, जिला जालोर मोबाईल नंबर   होना बताया। जिस पर रुबरु गवाहान व हमरायान के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री

विक्रमसिंह से अभी-अभी प्राप्त किये गये 10,000/- रुपये रिश्वत राशि के बारे मे पुछा गया तो उसने उक्त राशि 10,000/- रुपये स्वयं के काम के लिए लेकर स्वयं के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखना बताया। तत्पश्चात उक्त टी-स्टॉल जालोर-जोधपुर मुख्य सड़क पर स्थित होने व आस-पास काफी सरकारी कार्यालय होने से भीड़भाड़ होने से हाथ धोवन की कार्यवाही मे बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को मध्यनजर रखते हुए आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक का बांया हाथ कलाई के उपर से श्री कालूराम कानि. 477 से तथा दाहिना हाथ श्री आदूराम कानि. 142 से पकड़वाया जाकर मय आरोपी, परिवादी तथा अन्य ट्रेपदल व स्वतंत्र गवाहान के पैदल ही वहां से रवाना होकर पास ही स्थित पुलिस थाना कोतवाली जालोर पहूंचे जहां मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मय हमरायान के पुलिस थाना कोतवाली जालोर के मुख्य द्वारा पर मौजूद संतरी से ड्यूटी ऑफिसर/थानाधिकारी के बारे मे पुछा तो उसने ड्यूटी पर बाहर होना बताया जिस पर मौजूदा संतरी से अग्रीम कार्यवाही हेतु एक खाली कमरे के बारे मे पुछा तो संतरी ने एच.एम. कक्ष खाली होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व ट्रेपदल के सदस्यगण तथा दस्तयाब सुदा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक को यथा-स्थिति मे एच.एम.कार्यालय कक्ष मे लाया जाकर अग्रीम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए हमरा ट्रेप बॉक्स मेसे प्लास्टिक के पारदर्शी दो गिलास बाहर निकालकर उसमे पीने का साफ पानी भरवाया गया। तत्पश्चात दोनो गिलासों मे एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल मे कोई परिवर्तन नहीं होकर घोल रंगहीन रहा, जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात एक रंगहीन गिलास के घोल मे आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित स्वतंत्र गवाहान, ट्रेपदल, परिवादी ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना बताया। उक्त गुलाबी रंग के धोवन को हमरा ट्रेप बॉक्स मेसे दो कॉंच की साफ शीशीयां निकलवाई जाकर उक्त गहरे गुलाबी रंग के धोवन को कांच की दोनो गिलासों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क क्रमशः आरएच-1 व आरएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दूसरे गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने धोवन का रंग मटमैला होना बताया। उक्त धोवन को भी ट्रेप बॉक्स मे से कांच की दो साफ शीशीयां निकलवाई जाकर कांच की उक्त गिलासों मे मटमैले धोवन को आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क क्रमशः एलएच-1 व एलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक की जामा तलाशी उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा के वक्त वाका पहने हुए जीन्स पेन्ट के दाहिनी जेब मे एक नोटों की गड्डी पाई गई जिसे उक्त गवाह से ही बाहर निकलवाई जाकर गणना करवाई गई तो पाँच सौ पाँच सौ रुपये के 20 नोट कुल 10,000/- रुपये होना पाया गया। तत्पश्चात उपस्थित दूसरे गवाह श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक को पूर्व मे सुपुर्द सुदा फर्द पेशकशी मे अंकित नोटों के नंबरो का मिलान उक्त बरामदा नोटो के नंबरो से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने उक्त बरामदा राशि के प्रत्येक नोटों का नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नंबरो से हुबहू मिलान होना पाया गया, जिस पर उक्त रिश्वत राशि 10,000/- रुपयो को गवाह श्री नरेश कुमार को सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रुबरु परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं हमरायान ट्रेप दल के आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री विक्रमसिंह से 10,000/- रुपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करने के संबंध मे पुनः पुछा गया तो आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक ने बताया कि मैने उक्त राशि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जालोर के कार्यालय कक्ष की मरम्मत करवाने हेतु ली है, जिस पर उपस्थित परिवादी श्री विक्रमसिंह ने स्वैच्छा से आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि कस्बा भीनमाल जिला जालोर मे परफेक्ट कैरियर एकेडमी नाम से मेरी मान्यता प्राप्त स्कूल है जिसके UDISE नंबर व पासवर्ड जारी करवाने हेतु मैने आवेदन करीब 20 दिन पहले किया था मगर श्री महेन्द्र कुमार जी बाबूजी ने मेरे उक्त UDISE नंबर व पासवर्ड जारी करवाकर मुझे देने हेतु पूर्व मे दिनांक 01.12.2025 को तय सुदा 10,000/- रुपये आज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जालोर के कार्यालय के बाहर स्थित सुरेन्द्र टी-स्टॉल आहोर रोड़ जालोर पर आकर मेरे से मांग कर प्राप्त कर अपने पहने हुए जीन्स पेन्ट के दाहिने साईड की जेब मे रखे थे, दिनांक 01.12.2025 को मांग सत्यापन के दौरान दस हजार रुपये रिश्वत राशि लेना तय करने के पश्चात श्री महेन्द्र कुमार जी बाबूजी ने मुझे मेरी स्कूल के UDISE नंबर व पासवर्ड उनके वाट्सअप नंबर से मेरे वाट्सअप नंबर पर वक्त 02.48 पीएम पर भेजे थे मगर मेरे द्वारा डाउनलोड करने से पूर्व ही उन्होने Delete for everyone करके वापस खींच लिया था, आज जब श्री महेन्द्र कुमार मीणा बाबूजी ने मेरे से पूर्व मे तय सुदा 10,000/- रुपये रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त करने के पश्चात उनके वाट्सअप नंबर से मेरे वाट्सअप नंबर पर वक्त 03.54 पीएम पीडीएफ फाईल भेजी जिसे मैने खोलकर देखा तो मेरी स्कूल के UDISE कोड थे तथा उक्त UDISE कोड दिनांक 01.12.2025 को वक्त 02.46.06 पीएम पर Generated होना अंकित था। जिस पर परिवादी श्री विक्रमसिहं के मोबाईल मे वाट्सअप एप्लीकेशन का अवलोकन किया गया तो आरोपी श्री

महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक द्वारा उसके उपरोक्त वाट्सअप नंबर से परिवादी के वाट्सअप नंबर पर उपरोक्त UDISE कोड प्रेषित करना पाया गया । परिवादी के वाट्सअप नंबर पर आरोपी द्वारा स्वयं के वाट्सअप से प्रेषित UDISE कोड पीडीएफ फाईल का प्रिन्ट एवं आरोपी व परिवादी के मध्य वाट्सअप पर प्रकरण से संबंधित हुई चैट का स्क्रिनशॉट पृथक से रुबरु गवाहान लिया जाकर शामिल पत्रावली किया जावेगा । आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक की तलाशी मे मिला एक मोबाईल realme GT 2, मॉडल RMX3312 जिसके IMEI नंबर व है जिसको वास्ते अवलोकन व अनुसंधान हेतु कब्जा एसीबी लिया जाकर खुली हालात मे रखा गया । आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक को तसल्ली से परिवादी श्री विक्रमसिंह के कार्य UDISE कोड से संबंधित पत्रावली के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि उक्त पत्रावली अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जालोर के कार्यालय मे है, जो आईन्दा प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावेगी । तत्पश्चात आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स पेन्ट के दाहिनी जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के पहनने हेतु एक लॉअर मंगवाया जाकर वक्त वाका आरोपी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट को उतरवाया जाकर उक्त लॉअर पहनाया गया । ताबाद ट्रेप बॉक्स मेसे एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलवाई जाकर उसमे पानी का साफ पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना बताया, जिस पर उक्त रंगहीन गिलास के घोल मे आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबो-डूबो कर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगण ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना बताया । तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मेसे दो कॉच की साफ शीशीयां निकलवाई जाकर जीन्स पेन्ट के दाहिनी जेब के उक्त गहरे गुलाबी धोवन को आधा-आधा दोनो कॉच की शीशीयों मे भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा चेपों पर मार्क क्रमशः पी-1 व पी-2 अंकित किया गया तथा आरोपी की उक्त जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब को हवा मे सुखाकर जेब के अन्दर की तरफ संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त जीन्स पेन्ट जिसका रंग हल्का नीला व बेल्ट लाईन पर एक काले रंग का प्लास्टिक स्टीकर सिलाई किया हुआ जिस पर अंग्रेजी के बडे अक्षरों मे RAW BY ELIXER PREMIUM SELECTION लिखा होना पाया गया तथा उक्त के पास ही अंग्रेजी के छोटे अक्षरों मे कुछ और लिखा हुआ है जो स्पष्ट पढने मे नहीं आ रहा है । आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा की वक्त वाका पहनी उक्त जीन्स पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर पैकेट मार्क P अंकित किया गया । तत्पश्चात आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक से बरामदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये जो सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक के पास रखी हुई है, उक्त रिश्वत राशि की पुनः दोनो स्वतंत्र गवाहान से गणना व मिलान करवाया गया तो उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नंबर फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहू होना पाये गये जिनके नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित है, जो निम्नानुसार है01. एक पांच सौ रुपये का नोट 3UF 71079602. एक पांच सौ रुपये का नोट 6CL 42307603. एक पांच सौ रुपये का नोट 3CB 43535004. एक पांच सौ रुपये का नोट 1SN 08230305. एक पांच सौ रुपये का नोट 0PA 48155006. एक पांच सौ रुपये का नोट 6BB 46318607. एक पांच सौ रुपये का नोट 3AG 56666308. एक पांच सौ रुपये का नोट 5HU 60136709. एक पांच सौ रुपये का नोट 8WU 53071010. एक पांच सौ रुपये का नोट 2SB 82329011. एक पांच सौ रुपये का नोट 4UN 09795212. एक पांच सौ रुपये का नोट 4QU 51840613. एक पांच सौ रुपये का नोट 2KL 37408614. एक पांच सौ रुपये का नोट 1AN 73343615. एक पांच सौ रुपये का नोट 6QF 60770316. एक पांच सौ रुपये का नोट 7HM 18154917. एक पांच सौ रुपये का नोट 7BV 80663718. एक पांच सौ रुपये का नोट 5NV 61539619. एक पांच सौ रुपये का नोट 3DE 67228220. एक पांच सौ रुपये का नोट 9LT 093685

उपरोक्त बरामदा रिश्वति राशि पाँच सौ पाँच सौ रुपये के बीस नोट कुल राशि 10,000/- रुपये को स्वतंत्र गवाहान से प्राप्त कर एक खाकी रंग के लिफाफे मे डालकर उक्त राशि सहित लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर किया जाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर मार्क M अंकित किया गया । उपरोक्त कार्यवाही मे परिवादी श्री विक्रमसिंह को रिश्वत राशि लेन-देन हेतु सुपुर्द किया डिजिटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता को सुनने हेतु पूर्व मे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय के कब्जे लिया गया डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर चैक किया गया तो उक्त वॉयस रिकार्डर की इनबिल्ट मैमोरी तथा वॉयस रिकार्डर मे इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड की मैमोरी मे कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाया गया जिसके संबंध मे परिवादी से पुछा गया तो परिवादी श्री विक्रमसिंह ने बताया की मुझे वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करने के बाद मैने रिकार्डर को मेरे ब्लेजर के अन्दर की जेब मे रखा था एवं श्री महेन्द्र कुमार मीणा बाबूजी के आने से पहले ब्लेजर की जेब मे रखे रिकार्डर को दो तीन बार हाथ लगाकर गिरने की संभावना से चैक किया था इसलिए संभवतः कोई बटन दबने से स्वीच ऑफ हो गया हो । जिस पर मन् एएसपी द्वारा पुनः

तसल्ली से डिजीटल वॉयस रिकार्डर व इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड को चैक किया गया मगर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई, जिससे संभवतः परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्ड जिस जेब मे रखा था उसे बार-बार छुने या छेडछाड करने से डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच-ऑफ होना या उक्त वॉयस रिकार्डर किसी तकनीकी कारण से बंद हो जाना प्रतीत होता है। परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता चन्द सैकण्ड के लिए हुई जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान तथा हमरा ट्रेपदल द्वारा आस-पास रहते हुए देखा गया था। उपरोक्त बरामदा कार्यवाही के दौरान धोवन के उपयोग में लिये गये प्लास्टिक के पारदर्शी समस्त गिलासों को जलाकर नष्ट करवाया गया। उपरोक्त बरामदा अब तक की कार्यवाही के दौरान कब्जा एसीबी लिये गये समस्त मालखाना आईट्म उक्त फर्द बरामदगी मे अंकित को मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुरक्षार्थ सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स मे रखवाये जाकर ताबाबद करवाया गया। कार्यवाही के दौरान श्री कालूराम कानि. नं. 477 को जरिए तहरीर क्रमांक स्पेशल नं. 01 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा आरोपी का सेवा विवरण व तहरीर क्रमांक स्पेशल 04 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर व एडीपीसी कार्यालय जालोर रवाना किया गया था जो कार्यालय अति.जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जालोर का पत्रांक 232 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा परिवादी के कार्य से संबंधित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां व जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा जालोर के पत्रांक 359 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक का सेवा विवरण लाकर पेश किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.25 पी.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री विक्रमसिंह, दस्तयाब सुदा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक, श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93, श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री आदूराम कानि. 142, श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. 232, श्री करणीदान कानि. 236, श्री कालूराम कानि. 477 मय ट्रेप बॉक्स मय बरामदा मालखाना आईटम, प्रकरण से संबंधित पत्रावली, लेपटॉप प्रिन्टर, विडियो कैमरा, डिजीटल वॉयस रिकार्डर व आवश्यक सामग्री के जरिए निजी वाहनों से पुलिस थाना कोतवाली जालोर से रवाना सुदा वक्त 09.40 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जालोर पहूंचा व आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक की निगरानी हेतु श्री गुलाबसिंह कानि. 140 व श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को आवश्यक हिदायत कर मामूर किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की दराज में रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व मोबाईल वार्ता व मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड जो दराज का ताला खोलकर निकालकर एवं स्वयं के पास सुरक्षित रखा लेन-देन से पूर्व मोबाईल वार्ता का मैमोरी कार्ड श्री करणीदान कानि. 236 को सुरक्षित हालात में वास्ते फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब हेतु सुपुर्द किया गया। ताबाद दस्तयाब सुदा आरोपी, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के रात्रि भोजन का प्रबंध कर भोजन करने की आवश्यक हिदायत की गई।तत्पश्चात समय 10.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार व श्री नरेश कुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री विक्रमसिंह के दिनांक 01.12.2025 को परिवादी श्री विक्रमसिंह व आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व हुई मोबाईल वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड को कम्प्यूटर के माध्यम से कनेक्ट कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन पूर्व वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद समय 10.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार व श्री नरेश कुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री विक्रमसिंह के दिनांक 01.12.2025 को परिवादी श्री विक्रमसिंह व आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड को कम्प्यूटर के माध्यम से कनेक्ट कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में फिकरा उपरोक्त में रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व मोबाईल वार्तालाप एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप की दो डब/स्क्रीन डीवीडी तैयार की जाकर एक आई.ओ. एवं एक आरोपी के लिए खुली हालात में रखी गई। आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। मूल मैमोरी कार्डस को जरिए फर्द जब्ती के पृथक से जब्त किये जायेगें। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री चिमनाराम जाति मीणा उम्र 34 साल पैशा नौकरी निवासी ग्राम वलदरा पुलिस थाना भाद्राजून जिला जालोर हाल निवास गौतम ऋषि मंदिर के पास रामदेव कॉलोनी जालोर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जालोर, जिला जालोर मोबाईल नंबर ---------- के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा को उसके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत

करवाया जाकर हस्व कायदा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 38(ग) एवं 48 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य 2025 आई.एन.एस.सी. 162 के निर्देशानुसार के जरिये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके भाई श्री रघुवीर प्रसाद को दी जाकर फर्द गिरफ्तार प्रारुप पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.12.2025 को समय 01.25 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने व कार्यालय हाजा में हवालात की व्यवस्था नहीं होने से बाद स्वास्थ्य परीक्षण के पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में सुरक्षार्थ जमा करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी जालोर एवं थानाधिकारी जालोर के नाम पृथक-पृथक तहरीर जारी कर श्री सुरेन्द्र सींगड़ कानि. 232 व चालक श्री भरतसिंह नं. 501 जरिये वाहन सरकारी के तहरीर मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया गया था जो आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा का राजकीय चिकित्सालय जालोर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाकर हाजिर कार्यालय आये, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मय कोतवाली की प्राप्त रसीद सुपुर्द की जो शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.10 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार व श्री नरेश कुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री विक्रमसिंह के दिनांक 04.12.2025 को परिवादी श्री विक्रमसिंह व आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व मोबाईल वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड को कम्प्यूटर के माध्यम से कनेक्ट कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन पूर्व मोबाईल वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप की दो डब/क्लोन डीवीडी तैयार की जाकर एक आई.ओ. एवं एक आरोपी के लिए खुली हालात में रखी गई। आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। तत्पश्चात समय 02.50 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.) जालोर, जिला जालोर एवं परिवादी श्री विक्रमसिंह के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व हुए मोबाईल वार्तालाप एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 01.12.2025 को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे एक ही मैमोरी कार्ड में पृथक-पृथक रिकार्ड करवाई गई है। उक्त मूल मैमोरी को रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर CHIPTRON 8 GB तथा दूसरी तरफ CHIPTRON EXP. JUN/25 लिखा हुआ पाया गया, जिसकी हैश वैल्यू निकालकर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड में पृथक-पृथक अंकित की गई जिसका फाईल नाम क्रमशः 251201_1432.mp3 एवं हैश वेल्यू 7451fbd9ba4b84a1eb4ccf93802be892c04d150016d17c[illegible]b2934781b3c003114 तथा फाईल नाम 251201_1445_01.mp3 एवं हैश वेल्यू c821beb3a834f711b6[illegible]4d8 f950d4f416984c e[illegible]658a28d31f9ff855fe1f28a7c5 व उक्त दोनो का एल्गोरिथम SHA256 है। उक्त मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक के छोटे कवर में रखकर एक सफेद रंग के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क M1 अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.) जालोर, जिला जालोर एवं परिवादी श्री विक्रमसिंह के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व हुए मोबाईल वार्तालाप दिनांक 04.12.2025 को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे एक मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई है। उक्त मूल मैमोरी को रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर RAJ-M6 DEC-25, 8 GB तथा दूसरी तरफ A32 D53, CE MMLB08GC10K9-TO EDE 2541 Made in China लिखा हुआ पाया गया, जिसकी हैश वैल्यू निकालकर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड में अंकित की गई जिसका फाईल नाम 251204_1536.mp3 एवं हैश वेल्यू 9[illegible]2964b6d6a07b25d5827d1fd66194d989cd80bf4838a 3[illegible]9d9253ec3ce81c846 व उक्त फाईल का एल्गोरिथम SHA256 है। उक्त मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक के छोटे कवर में रखकर एक सफेद रंग के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क M2 अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 05.12.2025 को समय 09.45 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्रकरण की पत्रावली, स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्र कुमार व श्री नरेश कुमार, परिवादी श्री विक्रमसिंह व ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड.कानि. नं. 93, श्री सुरेन्द्र सींगड कानि. 232, श्री करणीदान कानि. 236 मय

सरकारी विडियो कैमरा के जरिए सरकारी वाहन बोलेरो नं. आरजे 14 ... 0818 मय चालक श्री भरतसिंह कानि. 501 के उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु घटनास्थल पुलिस थाना कोतवाली जालोर के सामने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) जालोर के पास आहोर रोड जालोर की तरफ रवाना होकर उक्त कार्यवाही के घटनास्थल पर पहूंच परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका मूर्तिब किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा परिवादी श्री विक्रमसिंह को घटनास्थल से ब्यूरो कार्यालय जालोर पहूंचने की आवश्यक हिदायत कर घटनास्थल से रुकस्त किया गया। तत्पश्चात मन् एएसपी मय शेष हमरायान के पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में बंद आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा को प्राप्त कर मय आरोपी के कोतवाली से रवाना होकर आरोपी के रहवासी मकान रामदेव कॉलोनी जालोर पहूंचे जहां रुबरु स्वतंत्र गवाहान आरोकी की उपस्थिति मे आरोपी के रहवासी मकान की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। खाना तलाशी के दौरान राजकीय विडियो कैमरे से हमरा श्री करणीदान कानि. 236 से विडियोग्राफी करवाई गई, बाद खाना तलाशी मन् एएसपी मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा, ब्यूरो जाब्ता के रवाना होकर राजकीय अस्पताल जालोर पहूंच आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया जहां शेष ब्यूरो जाब्ता व परिवादी उपस्थित मिले। आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा की निगरानी हेतु श्री गुलाबसिंह कानि. 140 व श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को मामूर कर आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री करणीदान कानि. 236 द्वारा राजकीय विडियो कैमरे में मैमोरी कार्ड इन्सट्राल कर करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड स्वतंत्र गवाहान के रुबरु विडियो कैमरे से बाहर निकलवाया जाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर के माध्यम से मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड सुदा रिकार्डिंग की हैश वैल्यू निकलवाई जाकर रिकार्डिंग की तीन पेन-ड्राईव कोर्ट/आई.ओ./ऑफिस कॉपी तैयार करवाई जाकर खुली हालात में रखी गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को रुबरु स्वतंत्र गवाहान के जरिये फर्द जब्ती जब्त कर एक प्लास्टिक के पाउच में रखकर उक्त पाउच को एक सफेद लिफाफे में रखकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क V अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी तथा आरोपी के मध्य मोबाईल फोन से वाट्सअप पर हुई चेट का रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के स्क्रिन शॉट लिया जाकर कम्प्यूटर के माध्यम से प्रिन्ट आउट निकालकर दोनो गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही में फर्दात के मुताबिक जब्त सुदा मालखाना आईटम्स क्रमशः धोवन की शीशीयां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2 व पेन्ट पैकेट मार्क-पी, बरामदा रिश्वती राशि पैकेट मार्क- एम, रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व मोबाईल वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैंमोरी कार्ड मार्क एम-1 एवं दो डब डीवीडी खुली हालात मे व रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व मोबाईल वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड मार्क एम-2 व दो डब डीवीडी खुली हालात मे एवं संपूर्ण कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड मार्क V व तीन डब पेन-ड्राईव खुली हालात मे इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया।अब तक की संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) जालोर जिला जालोर द्वारा परिवादी श्री विक्रमसिंह निदेशक परफेक्ट कैरियर एकेडमी भीनमाल जिला जालोर से उसकी उक्त स्कूल की पूर्व में जारी सुदा मान्यता व UDISE कोड व पासवर्ड जारी करवाने की एवज में रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान तय सुदा 10,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते ही परिवादी की स्कूल के UDISE कोड व पासवर्ड की पीडीएफ परिवादी के वाट्सअप नंबर पर भेजना जिस पर आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक को रंगेहाथ गिरफ्तार होना जिससे आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय एसडी (मांगीलाल राठौड़) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर।.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़ अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री चिमनाराम जाति मीणा उम्र 34 साल पैशा नौकरी निवासी ग्राम वलदरा पुलिस थाना मात्रजून जिला जालोर हाल निवास गौतम ऋषि मंदिर के पास रामदेव कॉलोनी जालोर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जालोर, जिला जालोर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनिल कुमार विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 68 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1832-35 दिनांक 06.12.2025

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली मण्डल, पाली 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर 5- पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2
की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): ANIL KUMAR BISHNOI **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(ये क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)